यह सिर्फ जांच में सुधार का मामला नहीं है

द हिंदू

पेपर-II (भारतीय राजव्यवस्था)

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में राजेश एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य ने हत्या और संबंधित अपराधों में शामिल तीन आरोपियों की सजा को रद्द करते हुए 'जांच की एक सुसंगत और भरोसेमंद संहिता' तैयार करने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि दोषी छूट न सकें। न्यायालय ने न केवल जांच में कुछ अवैधताओं की ओर इशारा किया, बल्कि आपराधिक न्याय प्रणाली के सुधार पर न्यायमूर्ति मलिमथ समिति की टिप्पणियों और भारत के विधि आयोग की रिपोर्ट संख्या 239 में की गई टिप्पणियों को भी दोहराया। यहां इन दोनों टिप्पणियों पर एक वास्तविकता जांच है।

विविध व्याख्याएँ

न्यायालय द्वारा बताई गई एक बड़ी खामी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 से संबंधित है, जो 'किसी अपराध के आरोपी', 'पुलिस की हिरासत में' व्यक्ति से प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप खोजे गए किसी भी तथ्य की स्वीकार्यता की शर्तें बताती है। अदालत ने माना कि यह नहीं कहा जा सकता कि व्यक्ति औपचारिक रूप से गिरफ्तार होने तक पुलिस हिरासत में था, क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में उसका नाम आरोपी व्यक्ति के रूप में नहीं था और उसकी गिरफ्तारी तक उस पर किसी भी अपराध का आरोप नहीं था। यह धारणा कानून का सही प्रस्ताव प्रतीत नहीं करता है।

पुनः मान सिंह (1959) में, न्यायालय ने माना कि 'हिरासत' शब्द का अर्थ हिरासत या कारावास नहीं है। किसी भी कार्रवाई या शब्दों द्वारा हिरासत में प्रस्तुत करना भी इस धारा के अर्थ में हिरासत है। यहां तक कि पुलिस द्वारा संदिग्धों की गतिविधियों पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण को भी 'पुलिस हिरासत' माना गया है। छोटेलाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1954) और इसी तरह के कई अन्य मामलों में, न्यायालय ने माना है कि धारा के अर्थ के तहत एक अभियुक्त पुलिस हिरासत में है जब वह पुलिस की निगरानी से अलग नहीं हो सकता है।

यूपी राज्य बनाम देवमन उपाध्याय (1960) मामले में न्यायालय ने माना कि अभिव्यक्ति, "किसी भी अपराध का आरोपी" उस व्यक्ति का वर्णन करती है जिसके खिलाफ उसके द्वारा दी गई कथित जानकारी से संबंधित साक्ष्य इस धारा द्वारा साबित किया जा सकता है। मोहम्मद दस्तागिरी बनाम राज्य (1960) मामले में, शीर्ष अदालत ने कहा कि यह आवश्यक नहीं है कि जब कोई व्यक्ति एक बयान देता है, तो वह आरोपी हो, यह पर्याप्त है, यदि वह एक आरोपी व्यक्ति है जब इसकी मांग की जाती है। अदालत में साबित किया जाना है. ऐसे मामले हो सकते हैं जहां संदिग्ध (एफआईआर में आरोपी के रूप में उल्लेखित नहीं) द्वारा प्रकट की गई जानकारी के आधार पर आपत्तिजनक लेख की खोज सबूत का पहला टुकड़ा हो सकती है (चाहे ठोस या पुष्टिकारक), जिससे गिरफ्तारी की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत हिरासत का मतलब पुलिस द्वारा औपचारिक गिरफ्तारी नहीं है।

इसी तरह, न्यायालय ने किसी बंद स्थान की तलाशी और जब्ती के दौरान स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति से संबंधित आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 100(4) और धारा 100(5) के तहत अनुपालन की मांग पर बहुत अधिक जोर दिया। मृतक के शरीर और उसके कपड़ों और हत्या के हथियार की खोज और जब्ती जैसे मेमो। मुशीर खान/बादशाह खान एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2010) में, न्यायालय ने कहा कि यदि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत खोज अन्यथा विश्वसनीय है, तो इसका साक्ष्य मूल्य केवल गैर-अनुपालन के कारण कम नहीं होता है। इसका कारण यह है कि धारा 100 किसी खोज पर चीजों के उत्पादन को मजबूर करने के लिए शुरू की गई प्रक्रियाओं से संबंधित है, जबकि हिरासत में एक आरोपी द्वारा बताए गए तथ्यों का आधार स्वैच्छिक और होने वाली खोज के अनुरूप है। वे पूरी तरह से अलग-अलग स्थितियों में काम करते हैं। इसलिए, मजबूरी पर आधारित खोज कार्यवाही में सुरक्षा उपायों को स्वेच्छा से पेश किए

गए तथ्यों के आधार पर खोज में नहीं पढ़ा जा सकता है। शीर्ष अदालत ने राज्य (एनसीटी दिल्ली) बनाम सुनील (2001) मामले में भी इसी तरह के विचार व्यक्त किए थे। दरअसल, ऐसे पंचनामे पुलिस द्वारा सावधानी के तौर पर तैयार किए जाते हैं, न कि कानून के किसी अनिवार्य प्रावधान के अनुपालन में।

जांच का पृथक्करण

न्यायमूर्ति मलिमथ समिति की रिपोर्ट और विधि आयोग की रिपोर्ट के अंशों पर प्रकाश डालते हुए, न्यायालय ने खेद व्यक्त किया कि पुलिस जांच का स्तर अभी भी खराब है और दोषसिद्धि की कम दर के प्रमुख कारणों में, अन्य बातों के अलावा, अयोग्य और अवैज्ञानिक जांच शामिल है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि जांच की गुणवत्ता में सुधार की जरूरत है और पुलिस को जांच के सर्वोत्तम उपलब्ध वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। हालाँकि, न्यायालय को विभिन्न आयोगों और समितियों द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसरण में पुलिस में हुए सुधारों की भी समीक्षा करने की आवश्यकता है। जांच के विषय पर, मलिमथ समिति ने सिफारिश की थी कि जांच विंग को कानून और व्यवस्था विंग से अलग किया जाना चाहिए। यद्यपि यह पृथक्करण समग्रता में (अन्य कारकों के अभाव में) जांच में सुधार के लिए रामबाण साबित नहीं हो सकता है, लेकिन अनियमितताओं के लिए पुलिस को पूरी तरह से दोषी ठहराने से पहले राज्यों द्वारा किए गए प्रयासों की समीक्षा की जानी चाहिए।

विधि आयोग की रिपोर्ट संख्या 239 जो डब्ल्यूपी (सी) संख्या 341/2004, वीरेंद्र कुमार ओहरी बनाम भारत संघ और अन्य में न्यायालय के निर्देश पर प्रस्तुत की गई थी, 'आपराधिक मामलों की शीघ्र जांच और सुनवाई' के संबंध में दिए गए सुझावों से संबंधित थी। प्रभावशाली सार्वजनिक हस्तियों के खिलाफ जांच के संबंध में, आयोग ने पाया कि 'पुलिस स्टेशनों में कर्मचारियों की कमी है', 'अपराध की जांच के लिए पर्याप्त प्राथमिकता नहीं दी जाती है' और 'जांच के कौशल को उन्नत करने के लिए कोई समय-समय पर अभ्यास नहीं किया जाता है'। आयोग ने न केवल अपनी 154वीं रिपोर्ट (जिसमें जांच को कानून-व्यवस्था के कर्तव्यों से अलग करने की सिफारिश की गई थी) का उल्लेख किया, बल्कि प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ और अन्य (2006) मामले में दिए गए शीर्ष अदालत के निर्देशों को भी दोहराया।

उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), असम के पूर्व डीजीपी और सीमा सुरक्षा बल के पूर्व महानिदेशक प्रकाश सिंह ने पिछले सभी आयोगों और समितियों की सिफारिशों की समीक्षा की है। न्यायालय के कुल सात निर्देशों में से एक, त्वरित जांच, बेहतर विशेषज्ञता और लोगों के साथ बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने के लिए जांच को कानून और व्यवस्था से अलग करने से संबंधित था। यह पृथक्करण पहले कस्बों/शहरी क्षेत्रों (10 लाख या अधिक की आबादी वाले) में किया जाना था, और धीरे-धीरे छोटे शहरों तक बढ़ाया जाना था।

राज्य प्रतिक्रियाएँ

राज्य सरकारों की प्रतिक्रियाओं को सारांशित करते हुए, श्री सिंह अपनी पुस्तक, द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया (2022) में लिखते हैं: 'सत्रह राज्यों ने पुलिस के जांच और कानून व्यवस्था कार्यों को अलग करने के लिए उपाय किए हैं। शेष राज्य इस निर्देश के विरोध में नहीं हैं लेकिन उन्होंने अभी तक अलगाव के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए हैं।' जब सात निर्देशों के समग्र अनुपालन की बात आई, तो नौ राज्य 'अच्छी और संतोषजनक' श्रेणी में और 20 राज्य 'औसत और खराब' श्रेणी में आए। हालाँकि, प्रतिक्रियाओं के विवरण में जाने पर, कोई यह समझ सकता है कि अधिकांश राज्यों ने या तो अपने राज्य पुलिस अधिनियम में कुछ प्रावधान किए हैं या प्रशासनिक आदेश जारी किए हैं। हालाँकि, पुलिस अधिकारी इस बात से अवगत हैं कि जब तक दिल्ली और मुंबई जैसे प्रमुख शहरों को छोड़कर अतिरिक्त जनशक्ति की मंजूरी नहीं दी जाती, तब तक जनशक्ति की कमी के कारण दोनों विंगों को अलग करना व्यावहारिक रूप से मुश्किल है। 'जांच के लिए अलग स्टाफ उपलब्ध नहीं कराया गया', किताब में मध्य प्रदेश के बारे में कहा गया है, जहां जांच के लिए एक कोड डिजाइन करने का निर्देश कोर्ट ने दिया था।

यह विश्वास करना कठिन है कि राज्यों में जांच की कोई संहिता मौजूद नहीं है। इन्हें समय-समय पर संशोधित भी किया जाता है और जहां भी आवश्यक हो, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश भी शामिल किए जाते हैं। हालाँकि, जाँच अधिकारी न केवल संख्या में अपर्याप्त हैं बल्कि अधिकारियों की कमी के कारण अपने कौशल को उन्नत करने में भी असमर्थ हैं। पुलिस सुधारों के लिए केवल नियम-कायदों में कुछ प्रावधान करके लक्षणात्मक उपचार करने से ज्यादा मदद नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट को आगे बढ़कर प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से जांच और अन्य मुद्दों पर उसके निर्देशों के अक्षरशः अनुपालन की रिपोर्ट देने को कहने की जरूरत है। इसी तरह, इसके फैसलों में निरंतरता होनी चाहिए जब तक कि पहले के फैसलों को ठोस कारणों से स्पष्ट रूप से खारिज नहीं किया जाता है।

संभावित प्रश्न (Expected Question)

प्रश्न : एक भरोसेमंद पुलिस जांच संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय के माध्यम से पुलिस जांच संहिता के प्रावधानों को स्पष्ट किया है।
2. डॉ. जस्टिस वीएस मलिमथ समिति की 2003 की रिपोर्ट और 2012 की भारत के विधि आयोग की रिपोर्ट इस दिशा में एक प्रयास था।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

Que. Consider the following statements with reference to a reliable police investigation code:

1. The Supreme Court in India has clarified the provisions of the Police Investigation Code through one of its decisions.
2. The 2003 report of Dr. Justice VS Malimath Committee and the 2012 report of the Law Commission of India were an effort in this direction.

Which of the statements given above is/ are correct?

(a) Only 1

(b) Only 2

(c) Both 1 and 2

(d) Neither 1 nor 2

उत्तर : c

संभावित प्रश्न व प्रारूप (Expected Question & Format)

प्रश्न : "सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक मामले में 'जांच की एक सुसंगत और भरोसेमंद संहिता' तैयार करने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि दोषी छूट न सकें।" सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का विश्लेषण करें साथ ही इससे संबंधित मलिमथ समिति की रिपोर्ट और विधि आयोग की रिपोर्ट की चर्चा भी करें।

उत्तर का दृष्टिकोण:

- उत्तर के पहले भाग में सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय और जांच की एक सुसंगत और भरोसेमंद संहिता की आवश्यकता की चर्चा करें।
- दूसरे भाग में इससे संबंधित मलिमथ समिति की रिपोर्ट और विधि आयोग की रिपोर्ट की चर्चा कीजिए।
- अंत में आगे की राह दिखाते हुए निष्कर्ष दें।

नोट : अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।